

31-5-21 पत्तावली पेश हुई। वकील पक्ष कारण अनुपाद्यित
 वकील बादी व बादी एवं प्रतिवादी को व्यापार
 समझ तक बार-बार आना जलवाबादे गई।
 लेकिन कोई उपाद्यित नहीं हुए। तथा प्रमाण
 अवसर दिने जाने के बाद भी बादी व बादी वकील
 द्वारा प्रतिवादी को सामील हेतु जलवाबा नोटिस
 पेश नहीं किए गए हैं।

अतः बादी का बाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा. ही. ऐ.
 प्रमाण अनसर दिने जाने पर भी प्रतिवादी को
 नहीं सामील नोटिस जलवाबा पेश नहीं करने पर
 अन्तर्गत आदेश 09 नियम 05 के तहत लोडिंग
 किया जाता है पत्तावली फेसल शुभार होना
 जम्बर से काम होना दाविल दफ्तार हो।
 निर्णय बुले व्यापार में सुनाया गया।

उपरोक्त अधिकार
 व सौम्य सेवा

